न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद

प्रकरण संख्या 60/15 दायरा दिनांक 08.10.2015

पीठासीन अधिकारी – दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

1. रूपांबाई पत्नि रामप्रकाश उम्र 38 वर्ष जाति किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. सियाबाई पत्नि ठाकुरलाल उम्र 45 वर्ष जाति किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– वादीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र इमरतलाल उम्र 40 वर्ष जाति किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
2. कूरी पुत्री इमरतलाल उम्र 34 वर्ष जाति किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 हाल पत्नि नत्थू किराड निवासी तिघरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
3. इमरती वेवा इमरतलाल उम्र 70 वर्ष जाति किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
4. भागवती पुत्री धन्नू उम्र 60 वर्ष जाति किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 हाल पत्नि कंवरलाल किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 13.12.2019

उपस्थित– 1. श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक (वादीगण)
2. एकपक्षीय (प्रतिवादीगण)

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढिकवानी पटवार हल्का ढिकवानी तहसील शाहावाद में आराजी खसरा संख्या 623 रकबा 1.19 बीघा स्थित है, जिसे दावे में विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2051–54 में प्रतिवादीकम–1,2 के पिता 3 के पति इमृतलाल पुत्र भागचन्द तथा प्रतिवादीकम–4 की मां ग्यारसी वेवा धन्नू के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज रही है, इसी जमाबन्दी में नामान्तरण नम्बर 706 के जरिये खातेदार ग्यारसी के स्थान पर सहखातेदार इमृतलाल का नाम खाता दर्ज हुआ है, इस प्रकार विवादित आराजी अकेले इमृतलाल पुत्र भागचन्द के नाम दर्ज हुई, तदुपरान्त दिनांक 30.07.2000 को फौती नामान्तरण नम्बर 876 से मृतक इमृतलाल के स्थान पर प्रतिवादीकम–1 लगायत 3 का नाम खाता दर्ज हुआ है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज खातेदार प्रतिवादी 1 लगायत 3 से वादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 623 रकवा 1.19 बीघा दिनांक 11.06.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय कर दखल तथा कब्जा प्राप्त किया है और उसी दिन से वादीगण अपनी उक्त क्रयशुदा विवादित भूमि पर वहैसियत सदभावी क्रेता एवं मालिक होकर बिना किसी हस्तक्षेप के निरन्तर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। प्रतिवादी 1 लगायत 3 ने वादीगण को विवादित भूमि खसरा नम्बर 623 रकवा 1.19 बीघा विक्रय करने के बावजूद उक्त आराजी भूमि विकास वैंक शाखा भंवरगढ को रहन रख ऋण ले लिया, इस कारण वादीगण के विक्रयपत्र अमल रोक दिया गया, वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 से विवादित भूमि को रहन मुक्त दर्ज कराने का निवेदन किया, तो वे टालमटूल करते रहे,

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज0)

Scanned by CamScanner

इसी बीच जमाबन्दी सम्बत 2059–62 में नामान्तरण नम्बर 1213 दिनांक 05.06.2006 से विवादित आराजी हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादीकम–4 की मां ग्यारसी का नाम दर्ज कर दिया गया और ततपश्चात मृतक ग्यारसी के स्थान पर प्रतिवादीकम–4 का नाम दर्ज हो गया। इसके बाद प्रतिवादीगण ने वैंक ऋण जमा कराकर नामान्तरण नम्बर 1565 दिनांक 09.06.2010 से विवादित आराजी रहन मुक्त भी दर्ज करा ली। वादीगण निरन्तर वर्ष 2010 से विकयपत्र के आधार पर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारीयान तथा प्रतिवादीकम–5 के चक्कर लगा रहे हैं, परन्तु आज तक विकयपत्र की पालना में वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है। दिनांक 30.09.15 को प्रतिवादीकम–5 ने उक्त विकयपत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया और वादीगण को माननीय न्यायालय में वाद पेश कर आदेश लाने को कहा। प्रतिवादीगण अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर पुनः उक्त भूमि अन्य को विकय करने पर आमादा हो रहे हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 623 रकवा 1.19 बीघा को वादीगण ने ततकालीन दर्ज खातेदारान से दिनांक 11.06.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र सदभावनापूर्वक उचित प्रतिफल के बदले कय कर दखल तथा कब्जा प्राप्त किया है और तभी से निरन्तर काबिज हो काश्त करती चली आ रही हैं, इस आधार पर वादीगण अपनी कयशुदा उक्त विवादित भूमि को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा अपने नाम दर्ज कराने की हकदार हैं तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने की हकदार हैं।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई, प्रतिवादी कम–1 की ओर से जरिये अधिवक्ता अपनी उपस्थिति दी गई, शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीक–1 की ओर से दावे का कोई जबाव भी पेश नहीं किया गया और बाद में अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू.–1 वादीनी रूपाबाई तथा पी.डब्ल्यू.–2 के रूप में वादीनी सियाबाई के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम ढिकवानी की नकल जमाबन्दी सम्बत 2071–74 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्बत 2051–54 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्बत 2059–62 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्बत 2063–66 प्रदर्श–4, नकल नामान्तरण नम्बर 876 प्रदर्श–5, असल विकयपत्र दिनांक 11.06.2004 प्रदर्श–6, नायब तहसीलदार केलवाडा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 26.07.2010 प्रदर्श–7, पुनः नामान्तरण दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.08.15 प्रदर्श–8, 80 सी.पी.सी. नोटिस की प्रति प्रदर्श–9 तथा नोटिस प्रेषित करने की डाक रसीद प्रदर्श–10 पेश किये।

वादीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य प्रदर्श–2 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2051–54 से साबित हैं कि विवादित आराजी के खातेदार इमृतलाल पुत्र भागचन्द तथा ग्यारसी वेवा धन्नू हिस्सा बराबर से दर्ज रहे हैं, जिनमें से खातेदार ग्यारसी के फौत होने पर फौती नामान्तरण नम्बर 706 के जरिये ग्यारसी के स्थान पर सहखातेदार इमृतलाल का नाम ही दर्ज किया गया है और इमृतलाल के फौत होने पर फौती नामान्तरण नम्बर 876 प्रदर्श 5 के जरिये प्रतिवादीकम 1 लगायत 3 का नाम दर्ज हुआ है, जिन्होने आराजी खसरा नम्बर 623 रकवा 1.19 बीघा का विकय, प्रदर्श–6 विकयपत्र के जरिये वादीगण के हक में किया है। बाद में मूल खातेदार ग्यारसी वेवा धन्नू का नाम नामान्तरण नम्बर 1213 से विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 पर दर्ज किया गया है, जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2059–62 प्रदर्श–3 से स्पष्ट है। तदुपरान्त खातेदार ग्यारसी वेवा धन्नू के स्थान पर नामान्तरण नम्बर 1329 से भागवती पुत्री धन्नू (प्रतिवादीकम 4) का नाम दर्ज हुआ है, जो प्रस्तुत जमाबन्दी

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज०)

Scanned by CamScanner

सम्वत 2063–66 प्रदर्श–4 से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रतिवादीकम–4 प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्श–1 में वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 से बतौर सहखातेदार दर्ज है। वादीगण के हक में प्रतिवादीकम 1 लगायत 3 द्वारा निष्पादित विकयपत्र प्रदर्श–6 वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 623 के सम्पूर्ण रकबा 1.19 बीघा का निष्पादित किया गया है, जबकि प्रतिवादीकम 1 लगायत 3 का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/2 का ही हक व अधिकार निहित था, जिसे ही प्रतिवादीकम 1 लगायत 3 नियमानुसार विकय करने के अधिकारी थे, इसके बावजूद प्रतिवादी 1 लगायत 3 ने ततसमय हुये गलत इन्द्राज के आधार पर खसरा नम्बर 623 के सम्पूर्ण रकबे का विकय वादीगण के हक में किया है, इस कारण प्रतिवादीकम 1 लगायत 3 द्वारा वादीगण के हक में निष्पादित विकयपत्र प्रदर्श–6 को प्रतिवादीकम 1 लगायत 3 के निहित वैधानिक हक हिस्सा 1/2 की हद तक वैध होना पाया जाता है तथा विकयपत्र प्रदर्श–6 को प्रतिवादीकम–4 के वादग्रस्त भूमि में निहित वैधानिक हक व अधिकारों के मुकाबले बेअसर घोषित किया जाता है।

इस प्रकार उक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम ढिकवानी पटवार क्षेत्र ढिकवानी तहसील शाहाबाद स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 623 रकबा 1.19 बीघा के हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादीगण हिस्सा 1/2 का विभाजन किया जाता है। तहसीलदार शाहाबाद नियमानुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 623 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी सिद्वान्त के आधार पर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner